कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 820 /11–सी–FP/UP/Road/117639/2021, लखनऊ, दिनांकः सितम्बर 25 ,2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत स्वीकृत पैकेज सं0–यू0पी0 67145 के मार्ग चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा ओबरा डैम सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 15.567 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 34 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–1123/मी0क्षे0/33, दिनांक 20.09.2023

महोदय,

आपके द्वारा विषयगत ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। ऑनलाइन प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

ऑनलाइन पार्ट–1 में प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर पर पायी गयी कमियाँः–

1. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली गैर वनभूमि का Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet अपलोड है, किन्तु सत्यापित नहीं है।
2. सी0ए0 हेतु दी जाने वाली गैर वनभूमि सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिभार से मुक्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है।
3. पावर ऑफ एटार्नी अपलोड है किन्तु उसमें श्री प्रशान्त यादव, अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है, जबकि क्रमांक–ए–3 में श्री रमेश चन्द्र कटियार का नाम फीड है तथा सभी अभिलेखों में कही पर श्री प्रशान्त यादव एवं कही पर श्री रमेश चन्द्र कटियार के हस्ताक्षर है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।

ऑनलाइन पार्ट–2 में प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर पायी गयी कमियाँः–

1. ऑनलाइन क्रमांक–13(i) एवं 13(ii) Patch wise details for Degraded Area में दुगने अवनत वनभूमि के Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet के स्थान पर गैर वनभूमि Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet अपलोड किया गया है। अतः इसे डिलिट कर दुगने अवनत वनभूमि का सत्यापित Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet ऑनलाइन अपलोड करें।
2. ऑनलाइन क्रमांक–13(iv) में अपलोड प्राक्कलन 625 पौधों की दर से है, जोकि अमान्य है। अतः इसे ऑनलाइन से डिलिट कर कम से कम 1000 पौधे प्रति हे0 दर से गैर वनभूमि एवं अवनत वनभूमि का प्राक्कलन सारांश सहित अपलोड करें एवं Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन डिलिट करें तथा सही धनराशि भी फीड करें।
3. प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का हिन्दी भाग–2 में उपरोक्त बिन्दु–2 के अनुसार संशोधित धनराशि अंकित कर संशोधित हिन्दी भाग–2 ऑनलाइन अपलोड करें।
4. पूर्ण प्रस्ताव की संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड करें।

अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् बिन्दुवार निराकरण ऑनलाइन अपलोड कर पूर्ण ऑनलाइन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 820 /11–सी–FP/UP/Road/117639/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

पत्रांक 1193 /मी0/33 दि0 सितम्बर 26-2023
26/9/23 प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा को [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अग्रेसित
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र

मुख्य वन संरक्षक
[illegible]